शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय

छुरिया, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

(पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर से संबद्ध)

सत्र - .....

विवरण - पत्रिका

मूल्य : 50/-

शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय

छुरिया, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

प्राचार्य की कलम से...

प्रिय विद्यार्थियों,

महाविद्यालय का नया शिक्षा सत्र आरंभ होने जा रहा है, आप इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हैं, जो अपनी स्थापना वर्ष 1989 से क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कर रही है । महाविद्यालय अपना 27 वाँ वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ साहित्यिक, सांस्कृतिक, क्रीडा आदि विभिन्न विधाओं का आयोजन निरंतर प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से निर्वाह करते रहा है ।

महाविद्यालय अकादमिक कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास से जुड़े रोजगार कैरियर मार्गदर्शन एवं शासन के विभिन्न व प्रशिक्षणों को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि छात्र-छात्राओं का गुणात्मक विकास हो सके ।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र-छात्राओं से मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने प्रतिभा व विवेक से महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे एवं अध्ययन के प्रति एकाग्र निष्ठा के साथ अनुशासन का पालन करेंगे, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, सांस्कृतिक, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी सक्रियता का परिचय देकर महाविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगे ।

शुभकामनाओं सहित....

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया

प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश संख्या एवं अध्ययन के विषयों का निर्धारण

कक्षावार सीटों की संख्या –

	कक्षा	सीट
1.	बी.ए. भाग – एक	165
2.	बी.एस.सी. भाग – एक (बायो)	60
3.	बी.एस.सी. भाग – एक (गणित)	60
4.	बी.काम भाग – एक .	60

बी.ए. भाग – एक

1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन)
2. वैकल्पिक विषय – (निम्नांकित विषयों में किन्हीं तीन विषयों का चयन करना अनिवार्य होगा)
   1. हिन्दी साहित्य
   2. राजनीति विज्ञान
   3. समाज शास्त्र
   4. भूगोल
   5. अर्थशास्त्र

बी.एस.सी. भाग – एक

1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन)
   - बायो समूह –
     1. प्राणी शास्त्र
     2. रसायन शास्त्र
     3. वनस्पति शास्त्र
   - गणित समूह –
     1. गणित
     2. भौतिक शास्त्र
     3. रसायन शास्त्र

बी.कॉम भाग – एक

1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन)
2. वाणिज्य समूह – सभी अनिवार्य विषय
   1. लेखांकन
   2. व्यावसायिक प्रबंधकीय
   3. व्यवहारिक अर्थशास्त्र

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06 से 07 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों का कड़ाई से पालन करना होगा । ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नाताकोत्तर कक्षा के पूर्व प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना -

महाविद्यालय में प्रवेश/अस्थायी प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किए जावेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी । प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना -

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगें । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से दस दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था । उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर ही महाविद्यालय

में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा । 12 वीं कक्षा में पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा । यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें । तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें ।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 04 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे ।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है । प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे ।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी । प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए ।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा । प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये ।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- (एक सौ रूपये) अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4.5 <u>स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये । प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है । इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये ।</u>

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं । ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेगें जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा -

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधरी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हैं, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा । उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश –

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । बी.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय के छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों का क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी ।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश –

(क) बी.काम./बी.एससी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.काम./एम.एमसी. (गृहविज्ञान)/एम.ए.पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर, बी.एससी., उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एससी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश –

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी । इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा ।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा –

विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता वहां 45% होगी । एल.एल.एम. पूवार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

6. समकक्ष परीक्षा :–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है । प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के

सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है । उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम, डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है ।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताा प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी मान्यता विहिन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें ।

7. वाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर पर बी.ए/बी.काम/बी.एससी./बी.एच.एससी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे । आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये ।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की परीक्षा प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें ।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है ।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :-

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ।

8.1 स्नातक की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/ऐटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीमेंट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.4 उपरोक्त कंडिका 07 के खंड 01 एवं 02 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र-छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा । उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा ।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र-छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा ।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है ।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है । प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये । ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे ।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी । परन्तु आयु सीमा बंधन में छात्राओं को तीन वर्ष की छूट होगी ।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रयोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुवंशित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए पांच वर्ष की छूट होगी ।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी ।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा ।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा -

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी ।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नाकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीकेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों को आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाये । आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा । स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी ।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा ।

12. आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32% सीटे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी ।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी ।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी ।

परंतु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा । परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो उसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा ।

12.2 (1) बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कर्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा वह बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थित, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे । विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंकों का अधिकार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे ।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी ।

12.6 आरक्षित स्थान प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये ।

12.8 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा । एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देया होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एस.एस.एस./स्काउट्स -

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे ।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थी को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश 10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताऐं -

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 12.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग - राज्य स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.6 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम छ.ग. की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन -

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आर्थोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि -

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो।

2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना आभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगें। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारण किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप

परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पीएचडी के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 04 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जान बुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार - आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

- शुल्क संरचना -

शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा, जिसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।

शुल्क का विवरण निम्नानुसार है -

शासकीय शुल्क -	वार्षिक
1. शिक्षण शुल्क - बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम भाग 1,2 एवं 3	115.00
2. प्रवेश शुल्क -	3.00
3. स्टेशनरी शुल्क -	2.00
4. प्रायोगिक शुल्क (भूगोल एवं विज्ञान विषय) -	20.00
अशासकीय शुल्क -	**वार्षिक**
1. वाचनालय -	20.00
2. सम्मिलित निधि -	32.00
3. महाविद्यालय विकास -	50.00
4. छात्र स्नेह सम्मेलन -	50.00
5. छात्र सहायता निधि -	10.00
6. शारीरिक कल्याण शुल्क -	150.00
7. छात्रसंघ शुल्क -	5.00
8. ग्रंथागार शुल्क -	30.00
9. रेडक्रास शुल्क -	25.00
10. चिकित्सा शुल्क -	3.00
11. विद्यार्थी समूह बीमा -	11.00
12. अवधान शुल्क -	60.00
13. नामांकन फार्म -	50.00
14. नामांकन शुल्क -	100.00
15. छात्र परिचय पत्र -	30.00
16. स्थानीय परीक्षा शुल्क -	50.00
17. विज्ञान (प्रायो.) शुल्क -	100.00
18. छात्र कॉमन शुल्क -	25.00
19. अन्य आकस्मिक शुल्क -	50.00
20. स्थानीय प्रबंध समिति (जनभागीदारी समिति शुल्क)	300.00

- छात्रवृत्तियाँ -

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति -

पोस्ट मैट्रिक आदिम जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति की पात्रता निम्नानुसार होगी ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति आय सीमा - 200000.00 (दो लाख से अधिक न हो)

पिछड़ा वर्ग - 100000.00 (एक लाख से अधिक न हो)

संलग्न - आय की मूलप्रति, जाति (तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित) एवं अंकसूची की छायाप्रति, गेप होने पर गेप सर्टिफिकेट, प्रवेश शुल्क की रसीद छायाप्रति । (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑन लाईन द्वारा भरा जावेगा ।)

2. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति (गरीबी रेखा से नीचे) -

छात्र-छात्रा के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारी हो ।

संलग्न - आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति (24000.00 से अधिक न हो) तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, जातिप्रमाण पत्र, अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, बैंक का खाता क्रमांक की छायाप्रति ।

3. योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत से अधिक प्राप्त छात्र-छात्राओं को)

संलग्न - आय 1 लाख से अधिक न हो आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति तहसीदार द्वारा अभिप्रमाणित, बारहवीं अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति ।

4. केन्द्रीय छात्रवृत्ति (80 प्रतिशत से अधिक छात्र-छात्राओं को)

संलग्न - बारहवीं अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, नोटरी द्वारा शपथ पत्र आय की मूलप्रति ।

5. निर्धन छात्रवृत्ति -

संलग्न - आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति (25000.00 से अधिक न हो) तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, गरीबी कार्ड, अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति । आवेदन की अंतिम तिथि

6. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त छात्र-छात्राओं को)

संलग्न - आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, जातिप्रमाण पत्र, अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, नोटरी द्वारा शपथ पत्र ।

(अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आन लाईन द्वारा भरा जायेगा)

- अपील -

समस्त अभिभावकों/नागरिकों से अपील -

अध्येताओं के सर्वांगीण विकास एंव श्रेष्ठत्तर शिक्षा देने के लिए महाविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध है । शिक्षा संस्थाओं के संधारण एवं अध्येताओं के लिए सुविधाओं के प्रबंधन के बढ़ते व्यय को ध्यान में रखते हुए, शासन ने जनभागीदारी योजना द्वारा नागरिकों में से अपेक्षा की है कि वे अपने क्षेत्र की उच्च शिक्षा संस्थाओं का मुक्त हस्त से दान राशि देकर एवं अन्य तरह से सहयोग प्रदान करेंगे । शासन की इसी भावना के अनुरूप महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति ने भी समाज के सभी वर्गों से अधिकाधिक दान राशि देकर सहयोग प्रदान करने की अपील की है । दान राशि हेतु एक हजार एवं पांच सौ रूपये के दान पत्रक महाविद्यालय में उपलब्ध है । अत: सभी से अपील है कि अधिकाधिक दान पत्र खरीदकर शिक्षा के इस राष्ट्रीय महत्व के पुनीत कार्य में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें ।

- आचार संहिता -

प्रत्येक छात्र-छात्रा को यह ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो अनुशासन का सदा पालन करें । कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें । धुम्रपान एवं मादक पदार्थों को सेवन वर्जित है । कॉलेज की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है । आंदोलन, हिंसा, आंतक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न निकालें अपितु उन्हें गुरूजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें । दलगत राजनीति दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे । छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जाएगा । महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा । उन नियमों के भंग होने पर छात्र-छात्रा को कालेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र-छात्रा की होगी ।

अध्ययन संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाईयों के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ देने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सन्मुख करेंगे ।

अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों का उद्धरण :-

म.प्र./छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के आधीन बनाए गए अध्यादेश क्रं. 7 की धारा - 1 के अनुसार महाविद्यालय के किसी छात्र/छात्रा के द्वारा महाविद्यालय अथवा बाहर अनुशासन कार्यवाही की जावेगी अनुशासनहीनता के लिए उक्त आध्यादेश में निम्नांकित दण्ड प्रावधान है -

(क) निलम्बन (ख) निष्कासन (ग) रेस्टिकेशन

(घ) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

बुक बैंक :-

महाविद्यालय में निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बी.पी.एल. बुक बैंक की सुविधा है । परीक्षा अवधि तक के लिए पुस्तकों का डेढ़ गुना मूल्य जमा कर पुस्तकें ली जा सकती है ।

विशेष :-

(1) महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या व मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

(2) प्रवेश के नियमों में छ.ग. शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।

- प्रवेश प्रक्रिया -

अ. आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय प्राचार्य द्वारा सूचित किया जाएगा ।

ब. प्रवेश के लिए निर्धारित तथा छपे हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है -

1. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूलप्रति ।
   हाईस्कूल (10 वीं) अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि ।
2. हायर सेकेण्ड्री (10+2) अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि ।
3. चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि ।
4. पिछली परीक्षाओं की अंकसूची की सत्यप्रतिलिपि ।
5. जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए) की सत्यप्रतिलिपि ।
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि ।
7. विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि ।
8. एन.सी.सी./एन.एस.एस. के प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि ।
9. क्रीड़ा संबंधी (जिसमें संभाग, प्रदेश या देश का प्रतिनिधित्व किया हो) प्रमाण-पत्र की सत्यप्रतिलिपि ।
10. साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित (जिले से उच्च स्तर में प्रतिनिधित्व) प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि ।
11. वचन पत्र ।
12. व्यक्तिगत विवरण पत्र ।
13. बी.पी.एल. प्रमाण पत्र/राशन कार्ड की सत्यप्रतिलिपि ।
14. अपना पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड संलग्न करें ।

स. प्रवेश पत्र के स्वीकृत हेतु सामान्य बातें :-

1. स्नातक छात्रों को प्रवेश समिति के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा ।
2. कार्यालय में निर्धारित शुल्क समय पर जमा होने पर ही प्रवेश मान्य होगा ।
3. अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकारी प्राचार्य को है ।

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया

नियमोपनियम

महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखता है कि -

1. महाविद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश मूलतः विद्या अध्ययन के लिए हुआ है । छात्र होने के नाते उसका ज्ञान, उत्साह एवं व्यक्तित्व उसके क्रियाकलापों से परिलक्षित होना चाहिए ।
2. महाविद्यालय के समस्त नियम विद्यार्थियों को संस्था की गरिमा बनाए रखते हुए महाविद्यालयीन संसाधनों के अनुकूल उपलब्ध व्यवस्था का उपयोग करते हुए अध्ययन करना चाहिए ।
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थी दलगत राजनीति व प्रदर्शन से दूर रहते हुए शांति व व्यवस्था को बनाये रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन में अपना सहयोग देंगे ।
4. उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त होने वाले आदेशों, निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे ।
5. प्राचार्य को यह अधिकार है कि निम्न कारणों के संदर्भ में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकता है -
   (अ) अध्यादेश क्रं. 6 नियम (13) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के उल्लंघन करने पर ।
   (ब) निर्धारित समय के अंत तक महाविद्यालय शिक्षण शुल्क या अन्य देयताओं के भुगतान न करने पर ।
   (स) प्राचार्य की सम्मति से विद्यार्थी का आचरण संतोषजनक न होने पर ।
   (द) जिलाध्यक्ष/आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त काली सूची में नाम शामिल होने पर ।
   (इ) किसी भी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने पर ।
6. अपरिहार्य कारणों से महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को 15 दिन पूर्व व विशिष्ट कारणों पर 7 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
7. प्राचार्य को विवरण पत्रिका में दिये गये नियमों में संशोधन का अधिकार है, विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित कर दे, इस संबंध में कानूनी कार्यवाही का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है ।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत :-

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना, जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो ।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995), अनुच्छेद-2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है -

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना बाध्य करना जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यापद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचा कर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध गलत ढंग से बंदी बनाने चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना ।

रैगिंग का स्वरूप :-

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है -

स्पष्ट आदेश -

1. सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए ।
2. सामूहिक कवायद करने के लिए ।
3. सीनियरों के क्लास नोट्स उतारने के लिए ।
4. अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए ।
5. सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए ।
6. अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए ।
7. नये छात्रों को सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए ।
8. शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना ।
9. कामुक, संकेतार्थ वाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है ।
10. नंगा करना, चुंबन लेना आदि ।
11. अन्य अश्लीलताएं करना ।
12. उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है ।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दंड -

1. प्रवेश निरस्त किया जाना ।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना ।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना ।
4. परीक्षाओं से वंचित करना ।
5. परीक्षा परिणाम रोकना ।
6. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा-उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध ।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना ।
8. आर्थिक दंड रूपये 25000/- तक ।

प्रवेश संबंधी विश्वविद्यालय का निर्देश

1. छ.ग. शिक्षा मंडल तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य प्री-डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में छात्रगण कार्यालय से मार्गदर्शन लें ।

2. छात्रों के लिए आचार संहिता -

   (1) प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित प्रकार के अध्ययन पर लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्यक्रम में भी पूरा सहयोग देगा ।

   (2) कक्षाओं में पूरी तरह अध्यापन में सहयोग देगा । बिना प्राचार्य की अनुमति के कक्षा अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेगा ।

   (3) प्रत्येक छात्र अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा ।

   (4) महाविद्यालय परिसर में किसी भी मादक पदार्थ का सेवना सर्वथा वर्जित है ।

   (5) आंदोलन, हिंसा और आंतक द्वारा किसी भी समस्या का हल करने का मार्ग छात्र नहीं अपनाएगा ।

3. अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों का उद्धरण -

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रं.-7 की धारा-1 के अनुसार महाविद्यालय के किसी छात्र/छात्रा के द्वारा महाविद्यालय अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचार किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है -

   (क) निलम्बन

   (ख) निष्कासन

   (ग) रेस्टिकेशन

   (घ) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

4. उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :-

   छ.ग. विश्वविद्यालय नियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रं.-7 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय के) छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है । उपस्थिति की समीक्षा, सितम्बर, दिसम्बर एवं फरवरी में की जाएगी । कम उपस्थिति वाले छात्र का नाम उपस्थिति पंजी से निरस्त कर दिया जाएगा ।

ग्रंथालय एवं वाचनालय

- ग्रंथालय एवं वाचनालय -

अध्ययन व अध्यापन को सुचारू रूप से संचालित करने में ग्रंथालय की भूमिका अद्वितीय है, छात्रों को इनके उपयोग हेतु प्रवेशोपरांत पंजीयन कराना होता है, पुस्तकों के निर्गमन के समय परिचय-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

1. छात्र एक बार में तीन पुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिए प्राप्त कर सकते है । निर्धारित अवधि के पश्चात पुस्तक लौटाने पर 1 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा ।

2. छात्र/छात्रा पुस्तक ले जाने के पूर्व उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें । यदि पुस्तक विकृत हो या कोई पन्ना न हो तो उसकी सूचना तुरंत ग्रंथपाल को दें । पुस्तक निर्गमन के पश्चात पुस्तक विकृत होने पर समस्त दायित्व विद्यार्थी का होगा । पुस्तक क दुगुनी कीमत के साथ 10/- रू. अर्थदंड वसूल किया जाएगा ।

3. वाचनालय में पत्र/पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है उसका निर्गमन नहीं होगा ।

4. पुस्तकालय की शांति भंग करना, अव्यवस्था फैलाना, नुकसान पहुंचाना गंभीरतम अपराध है, ऐसे अपराधी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है ।

5. पुस्तकें गुमने पर पुस्तक के बदले पुस्तक ली जायेगी, अथवा बाजार भाव के अतिरिक्त आर्थिक दंड लिया जायेगा ।

6. एस.सी., एस.टी. विद्यार्थियों हेतु बैंक योजना का भी प्रावधान है ।

ग्रंथालय एवं वाचनालय में संदर्भ ग्रंथों, पत्रिकाओं एवं अन्य पुस्तकों का संग्रह अध्ययन हेतु उपलब्ध है तथा छात्र अपना परिचय पत्र जमा कर ग्रंथालय में ही उनका अवलोकन/अध्ययन कर सकते हैं ।

- पुस्तकों की वापसी -

1. महाविद्यालय में इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तभी प्रदान किये जायेंगे, जब वे प्रदाय की गई सभी पुस्तकें वापस करेंगे ।

2. छात्र, जो 15 दिवस तक यदि महाविद्यालय में अध्ययन में अनुपस्थित होते है, तो उनके द्वारा ली गई पुस्तक/पुस्तकें अविलंब प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा जाएगा ।

3. पुस्तकें वापस नहीं किये जाने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

4. प्रत्येक माह प्राचार्य द्वारा संबंधित छात्र के पुस्तकें वापस नहीं किये जाने की सूचना छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, तथा संचालनालय को ऐसे समस्त छात्रों की गई कार्यवाही से अवगत कराएंगे ।

5. अनुशासन समिति भी उक्त प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर करेगी ।

6. संबंधित प्राध्यापक/ग्रंथपाल का उत्तरदायी होगा कि उपरोक्त प्रक्रिया अक्षरशः पालन किया जावे और उस संबंध के सभी अभिलेख व्यवस्थित रखे जायें अन्यथा पुस्तकों की वापसी न होने पर पुस्तकों की कीमत संबंधित ग्रंथपाल/ प्राध्यापक से वसूल की जावेगी ।

7. सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात जो छात्र सत्र उपरांत पुस्तकें वापस नहीं करेंगे उनके खिलाफ थाने में एफ.आई.आर.दर्ज कराई जाएगी तथा संचालनालय को तत्संबंधी सूचना देंगे ।

- विशेष -

महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित साहित्य उपलब्ध है । विद्यार्थी अध्ययन कक्ष में बैठकर उसका अध्ययन कर सकेंगे ।

शारीरिक शिक्षा विभाग

विद्यार्थियों के चहुंमुखी के विकास के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाता है । राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके विद्यार्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी । राज्य शासन द्वारा घोषित नीति के तहत छात्र/छात्रा को किसी न किसी खेल में प्रतिभागी होना अनिवार्य है । महाविद्यालय में निम्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण देकर राज्य स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तर प्रतियोगिता हेतु टीम का चयन क्रीडा समिति के तत्वाधान में किया जाता है -

1. क्रिकेट	2. बैडमिन्टन	3. फुटबॉल
4. कबड्डी	5. व्हालीबॉल	6. शतरंज
7. खो-खो	8. टेबिल - टेनिस	9. एथलेटिक्स

महाविद्यालय में क्रीडा प्रतियोगिताओं के संपादन हेतु क्रिकेट, फुटबाल हेतु खुले क्रीडांगन तथा बैडमिन्टन हेतु महाविद्यालय भवन के अंदर आँगन में खेलने की अविकसित सुविधा है साथ ही टेबल-टेनिस की भी सुविधा है ।

एन.एस.एस -

महाविद्यालय में एनएसएस की 100 स्वयं सेवकों की ईकाई संचालित है, जिसके माध्यम से छात्रों में रचनात्मक, क्रियात्मक एवं समाज सेवा हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है ।
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाएगा ।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जाएगी ।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जाएगी ।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जाएगी ।
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेगा ।
8. सत्र 2006-2007 से आधार पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण होने के लिए पृथक-पृथक 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।
9. महाविद्यालय में त्रैमासिक अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक पूर्व परीक्षा आयोजित होती है जिसमें बैठना अनिवार्य है । विद्यार्थियों की प्रगति से पालकों को अवगत कराया जायेगा ।

छात्र-पालक समिति

महाविद्यालय में छात्र पालक समिति का गठन किया गया है । विद्यार्थियों की प्रगति से पालकों की बैठक बुलाकर जानकारी दी जावेगी तथा पालकों से आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किये जावेंगे ।

महाविद्यालयीन समितियाँ

छात्रों, शिक्षकों व प्रशासन में तालमेल बनाये रखने एवं चुस्त-प्रबंधन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर अपने कार्यो व दायित्वों का निर्वहन करती है -

1. महाविद्यालय प्रबंधन समिति
2. क्रय समिति
3. प्रवेश समिति
4. अपलेखन समिति
5. क्रीडा समिति
6. ग्रंथालय एवं वाचनालय समिति
7. छात्रवृत्ति समिति
8. अनुशासन समिति
9. सम्मिलित निधि समिति
10. युवा उत्सव समिति
11. समय सारिणी समिति
12. छात्र उपस्थिति संकलन समिति
13. पदक पुरस्कार समिति
14. शिकायत निवारण समिति
15. स्वागत एवं बिदाई समारोह समिति
16. महाविद्यालय परिसर समिति
17. लेखा निवारण समिति
18. यू.जी.सी. समिति
19. स्थापना एवं परामर्श प्रकोष्ठ
20. छात्र पालक समिति
21. एन्टी रैगिंग समिति

महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-73/697/सी-33 दिनांक 30.09.96 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय के प्रबंधन में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक सं.रा./जि.राज.पंजीयन क्रं. 4247 दिनांक 02.09.1997 जिसमें महाविद्यालय परिवार के सदस्य तथा जनप्रतिनिधि सम्मिलित होकर महाविद्यालय विकास हेतु प्रयास करते हैं, इसके अंतर्गत तीन समितियाँ होती है । सामान्य परिषद, प्रबंध समिति एवं वित्त समिति जिनके द्वारा नियमानुसार दायित्वों को संपादन किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण/संहिता

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा, इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेश-भूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेश-भूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा । अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संक्षिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी ।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आंतक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम - 2011

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रं. 4397/3586/11/38-1, - छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3,4,5 एवं 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् -

- अनुसूची -

स. क्रं.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य-दिवस)	सेवा प्रदाय करने की वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय (छात्रों से संबंधित)	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		समस्त विद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		ब. छात्रवृत्ति का भुगतान	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		पुस्तकों का प्रदाय	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	5 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		परिचय पत्र जारी करना छात्रावास में प्रवेश	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र	30 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया

शैक्षणिक स्टॉफ –

1.	प्राचार्य	–	रिक्त
2.	प्राध्यापक	–	हिन्दी
3.	सहा. प्राध्यापक समाज शास्त्र	–	श्री बी.के. देवांगन, प्र. प्राचार्य
4.	सहा. प्राध्यापक राजनीति विज्ञान	–	डॉ. सुषमा चौरे
5.	सहा. प्राध्यापक हिन्दी	–	श्री एस. कुमार गौर
6.	सहा. प्राध्यापक अंग्रेजी	–	रिक्त
7.	सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र	–	रिक्त
8.	सहा. प्राध्यापक भूगोल	–	रिक्त
9.	सहा. प्राध्यापक भौतिक विज्ञान	–	रिक्त
10.	सहा. प्राध्यापक रसायन विज्ञान	–	रिक्त
11.	सहा. प्राध्यापक वनस्पति विज्ञान	–	रिक्त
12.	सहा. प्राध्यापक प्राणीशास्त्र	–	रिक्त
13.	सहा. प्राध्यापक गणित	–	रिक्त
14.	सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	–	रिक्त
15.	सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	–	रिक्त
16.	क्रीडाधिकारी	–	रिक्त

अशैक्षणिक स्टॉफ –

1.	ग्रंथपाल	–	रिक्त

कार्यालयीन स्टॉफ –

1.	सहायक ग्रेड – 2	–	श्री आनंद कुमार रामटेके
2.	सहायक ग्रेड – 3	–	श्री योगेश्वर कुमार साहू
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (जनभागीदारी)	–	श्री हुकूम साहू
4.	प्रयोगशाला तकनीशियन	–	श्री तिहारूराम मंडावी
		–	रिक्त
		–	रिक्त
		–	रिक्त
		–	रिक्त
5.	प्रयोगशाला परिचारक	–	श्रीमती किरण साहू
		–	श्री रविकुमार जलक्षत्री
		–	श्री रूपेश कुमार आर्य
		–	श्री तोरण कुमार
		–	रिक्त
6.	भृत्य	–	श्रीमती चित्रा खोब्रागढ़े
		–	श्री खोमेन्द्र कुमार भुआर्य
7.	चौकीदार	–	श्री गंगाराम गावरे
8.	बुक लिफ्टर	–	श्री हिमांशु शेखर यादव
9.	स्वीपर	–	श्री कमलेश कुमार जांगड़े
10.	फर्राश	–	श्री बिसम्भर लाल ध्रुव